32

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

जब कभी हम स्त्रियों की समाजशास्त्रीय प्रस्थितियों की जानकारी लेते हैं तब हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारा मसला सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों की प्रस्थिति को वर्ग, जाति, परिवार और नातेदारी जो भारत में पायी जाती है, के संदर्भ में समझना होगा। इस पाठ को पढ़ने से पहले छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें इन सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली जानकारी को जान लेना चाहिए।

1950 में संविधान बना। संविधान ने घोषणा की कि पुरूष और स्त्री बराबर हैं और उसने कहा कि इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान का यह संदेश हमको बताता है कि आदमी और औरत बराबर हैं। क्या ऐसा नहीं हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आश्चर्य होगा कि हम स्त्रियों की प्रस्थिति के बारे में यहाँ विचार करते हैं। यदि हम इसे मान लें तब यह सही है कि संविधान पुरुष और स्त्री को काम करने के समान अवसर देता है। इन दोनों के लिये समान अवसर का आंदोलन कोई 200 वर्ष पुराना है। समाज सुधारकों के प्रयत्नों से नारी आंदोलन और भारतीय संविधान ने स्त्रियों की स्वतन्त्रता के रास्ते में जो रोड़े आते हैं, उन्हें हटा दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुक्ति आन्दोलन के इन रोड़ों से स्त्रियाँ मुक्त नहीं हुई हैं। यह इसलिये है कि स्त्रियों की कई समस्याएँ जिनके साथ वे जूझ रही हैं आज भी जैसी की तैसी हैं। स्त्रियाँ कई सदियों से इन समस्याओं के विरुद्ध लड़ रही हैं। कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिनका हम

Notes

सही उत्तर नहीं पा सकते। जैसे कि:-

- अपनी प्रस्थिति को स्त्रियाँ किस काल से खोते हुए देख रही हैं?

अथवा

- आज स्त्रियों की जो स्थिति है, उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं?

हमारे पास इस सम्बन्ध में जो जानकारी है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रस्थिति में जो उतार-चढ़ाव आया है, वह किन अवसरों पर आया है। देखा जाय तो स्त्रियों की प्रस्थिति जो भी आज है उसे ऐतिहासिक रूप से हम नहीं देख सकते। जो कुछ जानकारी हमें है उसे इतिहास के विभिन्न युगों में देखा जा सकता है। इतिहास के ये तीन भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हैं।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि:

- इतिहास के वे कौन से काल हैं जिनसे हमारा समाज गुजरा है?
- स्त्रियों की वैदिक और महाकाव्य युग में क्या प्रस्थिति थी?
- स्त्रियों की प्रस्थिति धर्मशास्त्र के युग में कैसी थी?
- मध्य युग में स्त्रियों की प्रस्थिति कैसी थी और उनमें क्या परिवर्तन आये?
- भारत में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद स्त्रियों की प्रस्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे।
- स्त्रियों की प्रस्थिति को विभिन्न युगों में देख सकेंगे और उन्हें अलग-अलग तरह से समझ सकेंगे। सबसे पहले हमें प्राचीन भारत को देखना चाहिये।

32.1 प्राचीन काल में महिलाओं की प्रस्थिति

प्राचीन भारत में स्त्रियों की जो प्रस्थिति थी उसे हम विभिन्न कालों में विभाजित करके देख सकते हैं। यह विभाजन यद्यपि पूर्णत: इतिहाससम्मत नहीं है। ऐसा इसलिये है कि भारतवासियों ने घटनाओं को सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में ही देखा और परखा। उन्होंने इतिहास को इस तरह नहीं लिखा जिस तरह से आज लिखा जाता है। ये काल हैं:

(1) वैदिक काल
(2) महाकाव्य काल
(3) जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल
(4) धर्मशास्त्रों का काल

32.1.1 वैदिक काल

भारत में प्राचीन सामग्री का बहुत बड़ा स्त्रोत ऋग्वेद है। ईसा पूर्व 1500-1000 वर्ष के काल को वैदिक काल कहते हैं। इस काल की जो कुछ जानकारी है उसके अनुसार यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस युग में पुरुष व स्त्री में समानता थी। यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक युग में स्त्रियों की समानता को लेकर उदार दृष्टिकोण था। स्त्रियाँ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थीं और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। स्त्री के लिये विवाह करना आवश्यक नहीं था। लड़की को भार रूप में नहीं देखा जाता था और यह भी नहीं समझा जाता था कि वह परिवार में अवांछित है। स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन कर सकती थीं।

ऋग्वेद के आर्य पितृसत्तात्मक थे। पति की प्रस्थिति पत्नी की तुलना में उच्च थी। बहुविवाह प्रचलित थे। विधवा पुन: विवाह कर सकती थी जैसा कि यह प्रचलित था कि विधवा पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती थी। संक्षेप में यह कहना चाहिये कि वैदिक युग के प्रारम्भ में स्त्रियाँ एक उदार सामाजिक वातावरण में रहती थी।

32.1.2 महाकाव्य काल

ईसा से 12 वीं शताब्दी पूर्व का काल रामायण और महाभारत का युग माना जाता है। महाभारत का काल रामायण से पहले था। ऐतिहासिक क्रम में इसे ईसा पूर्व 5 वीं शताब्दी मानते हैं। हम सभी रामायण और महाभारत की कहानी को जानते हैं। इन दो महाकाव्यों ने अपने अपने चरित्रों के माध्यम से हिन्दुओं के विश्वास और विचारों को गढ़ा है तथा स्त्रियों के प्रति हिन्दुओं की क्या अभिधारणा है, इसे भी स्थापित किया है। ऐसी अवस्था में स्त्रियों की प्रस्थिति को जानने के लिये इन दो महाकाव्यों की विवेचना करना महत्वपूर्ण है। देखा जाय तो इन महाकाव्यों का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। आज भी लड़कियों का पालन-पोषण इस तरह किया जाता है कि वे अपनी भूमिका सीता की तरह अदा करें। सीता एक आदर्श स्त्री है क्योंकि वह अपनी सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को राम पर न्यौछावर कर देती है। दूसरी ओर महाभारत की महिला नायिका ऐसी है जो स्वतन्त्र और साहसी जीवन बिताती है। रामायण की सीता व महाभारत की द्रौपदी आज लोकप्रिय हैं। यद्यपि इन दोनों स्त्रियों की प्रस्थिति अपने पति की तुलना में निम्न है, फिर भी उनकी भूमिका को आदर्श माना जाता है। गांधारी अपने अंधे पति की सहानुभूति में स्वयं अंधी हो जाती है लेकिन रानी का जो दर्जा है वह नीचा नहीं होता। वास्तविकता यह है कि वह एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी प्रस्थिति को अपने पति की तुलना में निम्न कर देती है। प्राचीन भारत की सभ्यता में जहाँ भेदभाव होता है वहीं सभ्यता बढ़ती है।

Notes

पाठगत प्रश्न 32.1

निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिये:

1. वैदिक काल का प्रारम्भिक चरण किस नाम से जाना जाता है?

.....

2. दो महाकाव्य कौन से हैं, नाम दीजिये।

.....

3. गांधारी पर अंधापन किसने थोपा?

.....

32.1.3 जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म काल

ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास जैन धर्म और बौद्ध धर्म आये। इन दोनों धर्मों को सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। वैदिक काल के बाद में ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कर्मकाण्डी बना दिया। इनके विरोध में ये दोनों धर्म पैदा हुए। ये धर्म हिन्दू धर्म के विरोध में आये। यद्यपि ये दोनों धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं फिर भी जैन धर्म ने पहला प्रयास वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकाण्ड को समाप्त करने का किया। महावीर के समय में अगणित स्त्रियों ने जो विभिन्न पृष्ठभूमि से आयी थीं, भिक्षु सम्प्रदाय को स्वीकार किया। जैन धर्म के साहित्य में ऐसी स्त्रियों का वर्णन है जिन्होंने संतों की तरह सफलता प्राप्त की। बौद्ध धर्म ने आत्मा और ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। भारतीय धर्मों में यह एक प्रकार का क्रान्तिकारी विचार था। बौद्ध धर्म ने सामान्य लोगों को इस तरह से उद्‌बोधित किया कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गयी। इस धर्म ने स्त्रियों को धार्मिक विमर्श करने में भागीदार बनाया। वे संघ में शामिल होने लगीं। कई मठवासी स्त्रियों ने श्लोक लिखे जिन्हें थेरीगाथा कहते हैं।

प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त थी। बाद के वैदिक काल में अर्थात् ईसा पूर्व 1000-500 वर्ष पूर्व अवधि में यह प्रस्थिति नीचे गिर गयी। अब स्त्रियाँ घर-गृहस्थी में ही सिमट गयीं। अब स्त्रियाँ पवित्र और अपवित्र के फेर में आ गयीं। अपने जीवन काल की कुछ अवधि में वे अपवित्र कही जाने लगीं। कुछ धार्मिक और सामाजिक अवसरों से उन्हें दूर रखा जाने लगा। वंशक्रम पुरुषों से गिने जाने लगे और परिवार की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी लड़के समझे जाने लगे। जहाँ एक ओर

आर्थिक और सामाजिक प्रस्थिति लड़कों के लिये ऊँची हो गयी वहीं स्त्रियों की प्रस्थिति में गिरावट आयी। यह समझा जाने लगा कि केवल लड़के ही माता पिता को आवागमन एवं पुनर्जन्म से मुक्ति दिला सकते हैं। लड़की विवाह के बाद अपने पति के यहाँ चली जाती है ऐसी अवस्था में लड़का ही बूढ़े माता-पिता की देखभाल कर सकता है। लड़कों के इस उत्तरदायित्व ने समाज में उनके मूल्य को बढ़ा दिया।

एक स्त्री का स्थान या उसकी प्रस्थिति घर है और उसका पहला उत्तरदायित्व यह है कि वह लड़कों को जन्म दे और परिवार की निरन्तरता को पक्का करे। एक पति का अपने पत्नी पर पूरा अधिकार था और उसे यह स्वतन्त्रता थी कि वह दूसरा विवाह कर सके। यह ऐसी स्थिति में संभव था जब पहली पत्नी के कोई पुत्र न हो। स्त्री को हमेशा पुरुष के नियंत्रण में रहना पड़ता था और इस प्रकार उसे ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। इस अवधि में स्त्री के विवाह की उम्र भी कम हो गयी।

वैदिक काल के बाद के युग में स्त्रियों की प्रस्थिति में सामान्य तौर पर गिरावट तो आयी लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है जो अत्यधिक बौद्धिक थीं। गार्गी और मैत्रेयी प्रतिष्ठित विदुषी थीं। ऐसी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है जो वेदों को पढ़ती थीं और उनका उपनयन संस्कार भी होता था। यह सब होते हुए भी स्त्रियों ने धीरे-धीरे पतन को देखा और धर्मशास्त्रों के युग में वे बहुत नीचे गिर गयीं।

32.1.4 धर्मशास्त्रों का काल

धर्मशास्त्रों के युग में आचार की संहिता बनायी गयी। इस अवधि में स्त्रियों के लिये भी मापदण्ड बने। ये मापदण्ड निरपेक्ष साहित्य में जो कुछ उपलब्ध था वही थे यानी जो ईसा पूर्व 500-200 में बनाये गये थे। ये मापदण्ड आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों के हैं क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, उन्हें अपने रख-रखाव और जीवित रहने के लिये आदमी पर निर्भर रहना पड़ता था। यह विचारधारा दृढ़ हो गयी कि स्त्रियाँ आदमी की तुलना में निम्न हैं और उन्हें दुख और अज्ञानता के गर्त में धकेल दिया गया। धर्मशास्त्रों के युग में धार्मिक रीतिरिवाज और जाति व्यवस्था कठोर हो गये। धर्मशास्त्रों ने ऐसी दण्ड संहिता बनायी जिसने पारिवारिक जीवन को ही नहीं, सम्पूर्ण समाज में लोगों को प्रभावित किया। इस आचार संहिता ने मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित किया और इस संहिता को नहीं मानने पर दण्ड का प्रावधान भी था। इस युग में दण्ड देने का अधिकार मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री को स्वतन्त्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनु के विचारों में ''एक स्त्री अपने बाल्यकाल में पिता पर निर्भर होती है, युवा काल में पति पर, और वृद्धावस्था में पुत्र पर''। मनु के ये विचार केवल सैद्धान्तिक हों, ऐसा नहीं है। वास्तव में इनको अपने

Notes

काल में स्वीकार भी करना पड़ता था। वही मनु यह भी कहते हैं कि "जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहीं परमात्मा प्रसन्न होते हैं।" इस तरह का मनु का कथन स्पष्ट रूप से उस बात के विरोध में है जहाँ वे कहते हैं कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये।

याज्ञवल्क्य ने कहा कि वे माता पिता जो अपनी लड़कियों का राजस्वला होने से पहले विवाह नहीं करते बहुत बड़े पापी है। धर्मशास्त्रों का यह भी कहना है कि एक अविवाहित अकेली स्त्री को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका परिणाम यह हुआ कि एक स्त्री को विवाह से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत कम उम्र में विवाह करना स्त्री के लिये आवश्यक था। पुरुषों के लिए ऐसा कोई निर्देश या पाबंदी नहीं थी। अपने आदेशों का पालन कराने के लिये पुरुष अपनी स्त्री को भौतिक दण्ड भी दे सकता था।

धर्मशास्त्र के युग में बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता था और विधवा विवाह को हीन दृष्टि से देखा जाता था। लड़की का विधवा होना एक अपशकुन होता था और कई बार कन्या शिशु को मार दिया जाता था। सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी और विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था।

यह धर्मशास्त्र के युग में ही है कि स्त्रियों की प्रस्थिति बहुत पतित हो गयी। इस अवस्था में स्त्रियों का सम्पूर्ण जीवन पराधीन हो गया। ऐसा लगा कि अब उन्हें जीवन में स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। ऐसी दमन की अवस्था 19वीं शताब्दी तक बनी रही जब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए जिसने उनकी स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किये।

पाठगत प्रश्न 32.2

बताइये कि निम्न कथन सही है या गलत:

(1) धर्मशास्त्रों ने आचार की संहिता स्थापित की। (सही/गलत)

(2) याज्ञवल्क्य ने कहा है कि एक स्त्री को उसके जीवन में कभी स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिये। (सही/गलत)

(1) बौद्ध धर्म स्त्रियों को धार्मिक विमर्श में भाग लेने की स्वीकृति नहीं देता। (सही/गलत)

(2) उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की प्रस्थिति में पतन हुआ। (सही/गलत)

Notes

32.2 मध्य काल

11वीं शताब्दी में इस्लाम का उद्‌गम हुआ। इस युग में आशा जगी कि पिछड़े समूहों के हितों की रक्षा होगी। लेकिन इस युग में कुछ मूल्यों और आचार-विचारों को लागू किया गया जिन्होंने स्त्रियों की प्रस्थिति में कोई सुधार नहीं किया। पर्दाप्रथा जो शाही परिवारों, सामन्तों, व्यापारियों और उच्च घरों में प्रचलित थी अब मुसलमानों के आने के बाद में अन्य वर्गों में भी लागू हो गयी। इस तरह परम्परागत व्यवहार जो उच्च वर्गों और जातियों में चलते थे अब सभी हिन्दुओं के व्यवहारों में काम आने लगे। छोटी जातियों ने भी इन्हें अपना लिया। अब यह हो गया कि पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को पुरुषों से अलग कर दिया और इस तरह स्त्री व पुरुष में पृथकता आ गयी।

मुसलमानों में निकाह एक संविदा मात्र था और आदमी जब चाहे तब अपनी स्त्री को तलाक दे सकता था और इस तलाक के बाद औरत को भरण पोषण का कोई पैसा नहीं दिया जाता था। वह अपना जीवन निर्वाह अपने दम पर ही करती थी। आज यह स्थिति है कि मुसलमानों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत के आधार पर होते हैं। आज भी समान कानून के नहीं होने से शरीयत ही मुसलमानों के पारिवारिक जीवन को निर्धारित करती है। सच्चाई यह है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षा नहीं पा सकती हैं और इसलिये उन्हें पितृसत्ता के मूल्यों और व्यवहारों पर अपना जीवन बिताना पड़ता है।

मध्यकाल में बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जो धर्मशास्त्र युग में पाये जाते थे पूरी ताकत के साथ प्रचलित हुए हैं। वे लोग जो पुरोहित गीरी करते हैं उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों की व्याख्या अपने लाभ की दृष्टि से की और यह स्थापित किया कि ये सब कुरीतियाँ धर्म सम्मत हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों की घर से बाहर भागीदारी नहीं रही। अत: उन्हें सच्चाई का पता कभी नहीं लगता और वे कभी भी प्रचलित रीतिरिवाजों पर प्रश्न नहीं कर सकतीं।

32.3 आधुनिक काल

आधुनिक युग का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से होता है। ब्रिटिश लोग भारत में 1600 ई. में आये। लगभग 200 वर्षों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कभी भी सामाजिक गैर बराबरी व दमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिना किसी रोक-टोक के इस युग में सती प्रथा, विधवाओं पर अंकुश, स्त्री शिक्षा पर पाबन्दी पर किसी ने अंगुली नहीं उठायी। 19वीं शताब्दी के बाद परिवर्तन का समय आया और तब ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज

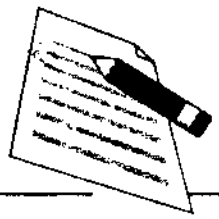

Notes

के प्रगतिशील लोगों ने यह प्रयत्न किया कि सामाजिक बुराइयाँ समाप्त हो जायें।

आधुनिक युग को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग हैं:

(1) ब्रिटिश युग (1800-1947)

(2) आजादी के बाद का युग (1947-अब तक)

पहले हमें ब्रिटिश युग से प्रारम्भ करना चाहिये।

32.3.1 ब्रिटिश युग

ब्रिटिश शासन वस्तुत: समाज सुधार का युग था। इस युग में सती प्रथा पर पाबन्दी लगा दी गयी। यह पाबन्दी 1829 में लगी। जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया तब लोगों ने इसका समर्थन किया। कट्टर हिन्दुओं ने इस सुधार आंदोलन का यह कह कर विरोध किया कि अंग्रेजों का यह कदम हिन्दुओं के धर्म में दखल करना है। इसी युग में कहा गया कि ऐच्छिक रूप से सती होना और दबाव में आकर सती होना अलग-अलग है। इस विवाद के होते हुए भी सती प्रथा समाप्त नहीं हुई।

समाज सुधारक और सरकार द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न

ब्रिटिश सरकार और समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सती होने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। विधवा विवाह पर पाबन्दी लगने के बाद और शिक्षा के अवसरों में कमी होने से, वे स्त्रियाँ जो सती होने से बचा ली गयीं उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई स्त्रियाँ विधवा होने की अपेक्षा मरना अधिक अच्छा समझती थीं। उनके अनुसार विधवा का जीवन उनके लिये अर्थहीन था।

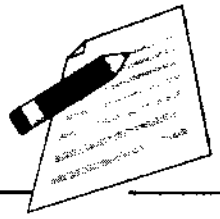

कई ऐसी विधवाएँ जो जवान थीं और पीड़ित थीं उन्होंने महान सुधारक ईश्वरचन्द विद्यासागर को विधवा विवाह पर लगी पाबन्दी को हटाने हेतु बाध्य किया। इस जनजागरण ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 को पास करने की प्रेरणा दी। यद्यपि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवाओं के विवाहों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई लेकिन समाज में भविष्य के लिये यह वातावरण अवश्य बना कि विधवाओं को पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। विद्यासागर को कई लोगों ने इस सुधार के लिये भला-बुरा कहा। प्रयत्न तो यहाँ तक हुआ कि उन्हें कट्टर हिन्दुओं द्वारा मारपीट करने तक का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन विद्यासागर एक बहुत बड़े ज्ञानी और सुधारक थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया।

समाज सुधार आंदोलन जो पश्चिमी बंगाल में चला था, भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। महाराष्ट्र के ज्योति बा फुले ने अपना जीवन स्त्री सुधार पर लगा दिया। उन्होंने 1848 और 1852 में लड़कियों के लिये स्कूल खोले और ये स्कूल प्रारम्भ में केवल दलित लड़कियों के लिये थे। उन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया और विधवाओं के बच्चों के लिये सुधारगृह बनवाये। इस अवधि में मानवीय भावनाओं से प्रेरित कई भारतीयों ने गतिविधियाँ प्रारम्भ कीं।

ब्रिटिश काल में कई सुधारवादी अधिनियम आये। इन अधिनियमों में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 में बना। देखा जाय तो स्त्रियों का दुख बाल विवाह के मूल में था। 1929 के अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष। हरबिलास शारदा ने इस आंदोलन पर जोर दिया कि विवाह की उम्र बढ़ा देनी चाहिये। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहते हैं। आज स्त्री की न्यूनतम विवाह की आयु 18 वर्ष है और पुरुष की 21 वर्ष। अधिनियम में यह संशोधन 1976 में किया गया।

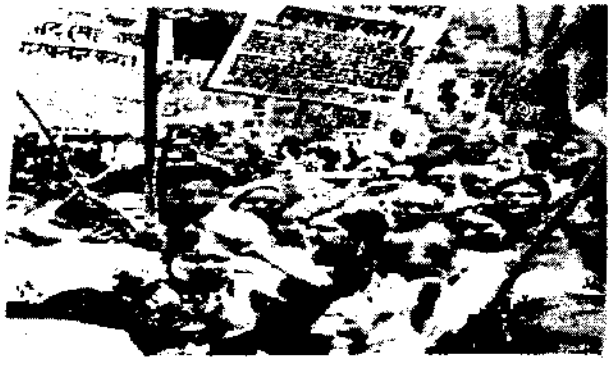

राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में स्त्रियाँ भागीदारी करते हुए

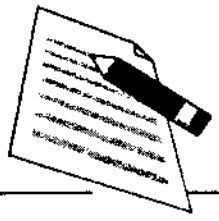

Notes

स्वतन्त्रता पूर्व के युग में अर्थात् 20 वीं शताब्दी में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। हुआ यह कि आजादी की लड़ाई में स्त्रियों ने बहुत बड़ी शिरकत की। उन्होंने यह स्थापित किया कि वे साहसी हैं और उनकी क्षमताएँ अपार हैं। गाँधीजी के नेतृत्व में जो यह राष्ट्रीय आंदोलन चला उसने स्त्रियों को यह संदेश दिया कि उन्हें बाल विवाह व दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिये। गांधीजी का कहना था कि "बिना समाज सुधार के स्वराज का विचार अर्थहीन है।"

ब्रिटिश युग में समाज सुधार आंदोलन प्रारम्भ हुए। इन आंदोलनों ने पुरुष और स्त्री की गैर बराबरी को उठाया और इन आंदोलनों में मुख्य रूप से कानून बने एवं स्त्री-मुक्ति-आंदोलन चले। आंदोलन इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इससे समाज में आमूलचूल परिवर्तन आ गये हों लेकिन यह अवश्य हुआ कि हम एक ऐसे समाज की ओर चल पड़े जहाँ कानून की दृष्टि से पुरुष और स्त्री समान हो गए। कानून ने ऐसे फैसले दिये जो स्त्रियों के हक में हुए। आजादी ने हमारे मनों में ऐसी आशा जगायी जिसमें हम स्त्रियों की प्रस्थिति को सुधार सकें।

पाठगत प्रश्न 32.3

सही उत्तर का चयन कीजिये:

(1) ब्रिटिश सरकार ने सती निषेध अधिनियम किस सन् में पास किया?

(a)1829 (b) 1830

(c) 1856 (d) 1880

(2) बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 की अगुवाई किस सुधारक के साथ जुड़ी है।

(a) हरबिलास शारदा (b) दयानंद सरस्वती

(c) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (d) राजा राममोहन राय

(3) निम्न व्यक्तियों में किसने यह कहा कि "समाज सुधार के बिना स्वराज का विचार अर्थहीन है।"

(a) गांधीजी (b) लोकमान्य तिलक

(c) जी. के. गोखले (d) सरदार पटेल

(4) महाराष्ट्र में दलित लड़कियों के स्कूल सबसे पहले किसने चलाये?

(a) महर्षि कर्वे (b) ज्योति बा फुले

(c) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (d) पं. रमाबाई

32.3.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का युग

आजादी की लड़ाई के बाद भारतीय संविधान ने एक ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करने की नींव डाली जिसमें आदमी और औरत समान बन जायें। संविधान के अनुच्छेद 14 ने पुरुष व स्त्री को समान अधिकार और अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 15 (i) ने कहा कि नागरिकों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायगा। संविधान ने अनुच्छेद 15 (iii) में कहा गया कि राज्य स्त्रियों के लिये विशेष प्रावधान प्रस्तुत करने की पेशकश करे। अनुच्छेद 16 (ii) के अनुसार राज्य किसी भी रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों ने इस बात को स्थापित किया कि

(i) पुरुष और स्त्री दोनों को निर्वाह के पर्याप्त साधन समान रूप से मिलेंगे।

(ii) आदमी और औरत को समान काम के लिये समान वेतन मिलेगा।

(iii) स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

(iv) काम और मातृत्व के लिये मानवीय आधार पर सभी प्रावधान किए जाने चाहिये। वे सामाजिक रीतिरिवाज जो स्त्रियों के दमन के लिये हैं उनसे मुक्ति दी जायेगी। ये कानून जो स्त्रियों को मुक्ति देगें, इस प्रकार हैं:

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955- इस अधिनियम ने एक विवाह को अनिवार्य कर दिया है। इस विवाह का विच्छेद हो सकता है। विवाह की उम्र लड़कियों के लिये 15 वर्ष व लड़कों के लिये 18 वर्ष होगी।

(ii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 यह अधिनियम स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार देता है। सम्पत्ति का यह अधिकार स्व-अर्जित सम्पत्ति पर है। लेकिन स्त्रियों को पुश्तैनी सम्पत्ति पर समान अधिकार नहीं है।

(iii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961- इस अधिनियम में समय-समय पर यानी 1984 व 1986 के संशोधन किया गया।

(iv) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961- इस अधिनियम के अनुसार पूरे वेतन पर एक स्त्री को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह अधिनियम कारखानों, खानों, चाय बगानों, दुकानों जहाँ 10 और अधिक लोग काम पर लगे हों।

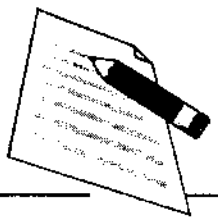

Notes

(v) समान वेतन अधिनियम, 1976- इस अधिनियम के अनुसार पुरुष व स्त्री को समान काम के लिये समान वेतन का प्रावधान है।

(vi) स्त्रियों का अश्लील प्रस्तुतिकरण (निषेध) अधिनियम, 1986 - विज्ञापनों और संचार माध्यमों द्वारा स्त्रियों का अश्लील प्रस्तुतिकरण दण्डनीय है।

उपरोक्त अधिनियमों के अतिरक्त कई अन्य अधिनियम हैं; जैसे अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, 1956 (जो संशोधित 1986 हुआ) में, को भी स्वतन्त्रता के बाद पारित किया गया।

देखा जाय तो संविधान के प्रावधानों ने कुछ ऐसे कानून बनाये हैं जो स्त्रियों के जीवन में बदलाव लाते हैं। यद्यपि स्त्रियों को मत देने का अधिकार दे दिया गया है फिर भी आज स्त्रियाँ पराश्रित बनी हुई हैं। आजादी के बाद के 55 वर्षों के बाद स्त्रियों की प्रस्थिति शिक्षा आदि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गयी है। इधर स्वास्थ्य और विकास की भागीदारी में वे बहुत पीछे हैं। अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारी चिन्ता के आज भी कई कारण हैं।

हमें यौन-अनुपात को देखना चाहिये कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं? सारणी 1 में यह बताया गया है कि 1000 पुरूषों पर कितनी स्त्रियाँ है। इसे विभिन्न जनगणनाओं में देखा जा सकता है।

भारत का यौन अनुपात 1901 में 1000 पुरूषों पर 972 स्त्रियाँ थीं। यह अनुपात 1991 में प्रतिहजार पुरुष पर 927 स्त्रियाँ हो गयीं। 2001 की जनगणना में थोड़ा सुधार हुआ और प्रतिहजार व्यक्तियों पर 933 स्त्रियाँ हो गयीं। पुरुष-स्त्रियों का यह अनुपात विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ 1000 व्यक्तियों के पीछे स्त्रियों की संख्या अधिक है। पुरुष और स्त्रियों में जो बहुत बड़ा अन्तर है वह खेद का विषय है। जीवन प्रत्याशा 1901 में स्त्रियों के लिये 23.3 थी वह बढ़कर 1997 में 61.8 प्रतिशत हो गयी। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूकता आयी है और कुछ राज्यों में जन्म दर कम हो गयी है। लेकिन यह प्रसन्नता इसलिये कम हो गयी जब मातृत्व मृत्युदर में बृद्धि हो गयी। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 80000 औरतें प्रतिवर्ष प्रसव काल में मर जाती हैं। होता यह है कि आज भी केवल 32 प्रतिशत प्रसव चिकित्सालय में होते हैं व शेष घर पर। इसी कारण मातृत्व मृत्यु दर बढ़ जाती है। मातृत्व मृत्युदर के कई कारण हैं-बाल विवाह, निरन्तर बच्चों का जन्म, कुपोषण, और स्त्रियों से अत्यधिक कार्य कराना।

तालिका 1: भारत में लिंग अनुपात

जनगणना	पुरुष	स्त्री
1901	1000	972
1911	1000	964
1921	1000	955
1931	1000	950
1941	1000	945
1951	1000	946
1961	1000	941
1971	1000	930
1981	1000	934
1991	1000	927
2001	1000	933

स्त्रोत: विभिन्न दशकों की भारत की जनगणना की रिपोर्ट सारणी 1.1 सन् 1991 में स्त्री शिक्षा में वृद्धि 39.42 थी सन् 2001 में यह वृद्धि दर बढ़कर 54.01 हो गयी (10 वर्षों में यह वृद्धि करीब 15 प्रतिशत हुई)। वास्तव में देखा जाय तो यह केवल इसी अवधि में है जिसमें पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। तालिका संख्या 2 से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षों बाद स्त्रियों की साक्षरता में बहुत कम वृद्धि हुई।

तालिका 2: भारत में साक्षरता दर

जनगणना	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
1951	18.33	37.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.56	56.37	29.75
	(41.42)	(53.45)	(28.46)
1991	52.11	63.86	39.42
2001	65.38	75.85	54.16

नोट: जनगणना 1951, 1961 और 1971 के साक्षरता दर के आंकड़े 5 वर्षों की उम्र व उससे ऊपर के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। लेकिन जनगणना 1981 की साक्षरता दर के प्रतिशत 7 वर्ष की उम्र व उससे ऊपर के लोगों पर लागू होते हैं। 1981 के आंकड़े जो कोष्टक में दिये हुए हैं वे 5 वर्ष और उससे ऊपर के उम्र समूह पर लागू होते हैं।

स्त्रोत: NIPCED, Statistics on Children in India, 1992. वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002, डिपार्टमेंट आफ वीमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, भारत सरकार।

शिक्षा की संशोधित नीति ने कई स्त्रियों को उनकी असाक्षरता की राह की बाधाओं को दूर करने का अवसर दिया है। स्त्रियाँ बहुत बड़ी संख्या में अपने कौशल के लिये अवसर पा रही हैं। और इसके परिणाम स्वरूप उनकी अर्जित करने की क्षमता और कुशलता में भी वृद्धि हो रही है। शिक्षा की वृद्धि के साथ में कई स्त्रियाँ विभिन्न राज्यों में अच्छे अवसर प्राप्त कर रही हैं। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और कतिपय उत्तर-पूर्वी राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों ने शिक्षा में वृद्धि पायी है। दूसरी ओर राजस्थान, झारखण्ड जैसे राज्य अब भी साक्षरता के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। उच्च प्राथमिक तथा हाई स्कूल स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यद्यपि पिछले 50 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियाँ इससे लाभ नहीं उठा पातीं और इसका कारण यह है कि उनके ऊपर घर का काम बहुत बड़ा बोझ है और इसके अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी है।

स्त्रियों का बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो रोजगार में नहीं दिखायी देता। केवल 17 प्रतिशत स्त्रियाँ ऐसी हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करती हैं। जबकि दूसरी ओर अधिकांश स्त्रियाँ पगार कम लेती हैं और उन्हें काम अधिक करना पड़ता है।

यद्यपि कानून उन लोगों के साथ सख्ती रखता है जो स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति परेशान करने वाली है और इसे सहजता से नहीं लिया जा सकता। यह सब होते हुए भी अब स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता है। स्त्री आंदोलन बराबर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। स्त्रियों की मुक्ति के ये आंदोलन तभी शक्तिशाली होगे जब स्त्रियों की दशा में कोई वास्तविक सुधार होगा।

पाठगत प्रश्न 32.4

सही उत्तर का चयन कीजिये:

(1) हिन्दू विवाह अधिनियम ने .....में विवाह विच्छेद का प्रावधान किया।

(a)1956 (b) 1955 (c) 1976 (d) 1961

(2) जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है?

(a)927 (b) 933 (c) 960 (d) 929

Notes

(3) जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर .....है।

(a) 54.16 (b) 56.37 (c) 53.45 (d) 52.11

(4) भारत का वह कौन सा एक मात्र राज्य है जहाँ महिलाएँ पुरुषों से अधिक हैं वह है .....

(a) गोवा (b) केरल (c) सिक्किम (d) तमिलनाडु

आपने क्या सीखा

पिछले विवरण में हमने भारतीय स्त्रियों की इतिहास के विभिन्न युगों में जो प्रस्थिति थी, उसका विवरण दिया है। हमने इस विवरण को इतिहास के तीन कालों अर्थात् (1) प्राचीन काल (2) मध्यकाल, और (3) आधुनिक काल में विभाजित करते हुए प्रस्तुत किया है।

प्राचीन काल

- वैदिक काल के प्रारम्भिक वर्षों में स्त्रियों की प्रस्थिति अपेक्षित रूप से ऊँची थी। वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं और अपने साथी का वरण कर सकती थीं। उस युग में कुरीतियों जैसे कि सती, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध नहीं थे।
- महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आज भी लड़कियों को सीता के आचरण के अनुसार बड़ा किया जाता है। सीता को एक आदर्श हिन्दू महिला की तरह प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी सभी इच्छाएँ राम पर छोड़ दीं और उनके साथ वन चली गयी। दूसरी ओर महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी को एक साहसी और स्वतन्त्र स्त्री के रूप में रखा है।
- बौद्ध और जैन धर्म ने स्त्रियों को अधिक सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है जो कि वैदिक युग में था। इन धर्मों के अनुसार स्त्रियाँ धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती थीं। वे अपने घर से बाहर विशद समाज में धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं।
- उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे स्त्रियों की प्रस्थिति में पतन होने लगा। इसका कारण यह था कि अब लड़कों को वंश परम्परा और परिवार की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा। स्त्रियों के काम करने का स्थान घर तक ही सिमट गया।
- मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य (जो धर्मशास्त्र के सुपरिचित लेखक हैं।) ने स्त्रियों की

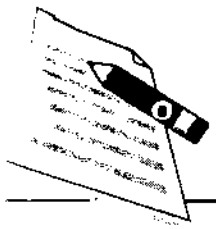

Notes

गतिशीलता और स्वतन्त्रता पर कई पाबन्दियाँ लगा दीं। हिन्दू कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का निषेध, विधवा विवाह पर रोक और सती प्रथा ने स्त्रियों को पुरुषाधीन बनाकर रख दिया।

मध्यकाल

- इस काल में भारत में इस्लाम का उदय हुआ। पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को भौतिक और सामजिक रूप से समाज से पृथक कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने तलाक, उत्तराधिकार आदि को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा। कई हिन्दू स्त्रियों ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर (जिसे सामूहिक रूप से की जाने वाली सती-प्रथा माना जा सकता है) को अपना लिया।

आधुनिक काल

- यद्यपि अंग्रेज भारत में 17 वीं शताब्दी में आये थे लेकिन उन्होंने 19 वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार करने प्रारम्भ किये।
- भारतीय समाज सुधारकों जैसे कि राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और हरबिलास शारदा के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निषेध अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। भारतीय समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया और यह सब 19 वीं शताब्दी में हुआ। भारत सरकार के प्रभाव से स्त्रियों पर दमन करने वाले कई सामाजिक रीति रिवाजों को समाप्त किया गया। इस तरह के अधिनियिम अशिक्षा, हिंसा और मारपीट तथा स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे।
- यह सत्य है कि स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिये पिछले 50 वर्षों में बहुत से परिवर्तन आये हैं। यह सब होते हुए भी आज भी स्त्रियाँ कमजोर हैं। अब भी वे अपने आपको पिछड़ा हुआ समझती हैं। यह बहुत आवश्यक है कि हम स्त्रियों को उनकी बदली हुई जो प्रस्थिति है, उसमें देखें। हम जब तक पूर्ण रूप से उनकी प्रस्थिति में सुधार नहीं करेगें, वे आगे नहीं बढ़ सकतीं।
- यह सही है कि स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिये हमने कई कानून बनाये फिर भी पुरुष व स्त्री की जो सांस्कृतिक भूमिकाएँ हैं उनके कारण आज भी स्त्रियाँ दलित दिखाई देती है।

पाठान्त प्रश्न

निम्न प्रश्नों के उत्तर 200-300 शब्दों में दीजिये:

(1) वैदिक काल के प्रारम्भ में स्त्रियों की जो प्रस्थिति थी उसे समझाइये।

(2) धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की प्रस्थिति के पतन के लिए जो कारक उत्तरदायी बने उनका वर्णन कीजिये।

(3) ब्रिटिश युग में जो सामाजिक सुधार हुए उनके मुख्य लक्षण दीजिये।

(4) स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति सुधारने के लिये जो कानून बने उनका प्रभाव बताइये।

शब्दावली

(1) बाल विवाह निषेध अधिनियम - यह अधिनियम 1929 में बनाया गया था। इसके अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह की उम्र 14 वर्ष व लड़के की 18 वर्ष रखी गई। इस अधिनियम में संशोधन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में हुआ। इसमें विवाह की उम्र आगे बढ़ा दी गयी अब यह लड़की के लिये 15 वर्ष हो गयी। 1976 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिये 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष कर दी गयी।

(2) धर्मशास्त्र: वह धार्मिक अध्ययन है जो आचार संहिता को निर्धारित करता है।

(3) महाकाव्य- महाकाव्य दो हैं रामायण और महाभारत।

(4) मध्यकाल- यह वह समय है जो 1100 और 1700 ई. के बीच की अवधि का है। इस काल में भारत में मुसलमान आये।

(5) पितृसत्तात्मक- इस व्यवस्था में पुरुष की उच्चता होती है। पितृसत्तात्मक समाज में सबसे बृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता है। इसमें वंशक्रम को पुरुष के माध्यम से देखा जाता है। उत्तराधिकार की सम्पति का मालिक पुरुष ही होता है। जो मातृ-सत्तात्मक वादी विचारक हैं वे स्त्रियों के दमन का कारण पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था को मानते हैं।

(6) ऋग्वेद- ऋग्वेद के समय को प्रारम्भिक वैदिक युग भी कहते हैं।

(7) सती- परम्परागत आत्मदाह जो एक विधवा अपने पति की चिता पर करती है। बलिदान करने का यह फैसला या तो स्वयं स्त्री का ऐच्छिक होता है या दबाव के कारण।

Notes

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

32.1

1. ऋग्वैदिक काल
2. रामायण और महाभारत
3. धृतराष्ट्र के प्रति उसकी वफादारी

32.2

(i) सही (ii) गलत (iii) सही (iv) सही